| तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | तारीख हुक्म | प्रकरण नं० 31/16 अपील<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|---|
| | 25-4-17 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीगण उपस्थित। वकील अपीलार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील अपीलार्थीगण ने अपील मेमो व केसला लगाये। वकील अपीलार्थीगण ने अपील मेमो व केसलॉ के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की।<br>जबकि रेस्पोन्डेन्ट नं01 के वकील ने भी बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील रेस्पोंडेंट नं01 द्वारा प्रस्तुत तहरीरी जवाब के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की।<br>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हो कर मिजाज्या, गणपत, गाजी S/o मेघा 1/4 व अन्य खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड हो जरिये इन्तकाल नं० 840 दिनांक 18-9-89 के द्वारा गणपत के बजाय मिजाजिया, गाजी S/o मेघा, [illegible] 1/4 हिस्सा के दर्ज रेकार्ड S/o गणपत, मु० भंवरी बेवा गणपत हो जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व कम्पिलेरव जमाबंदी की नकल सम्वत 2042 से 2045 से होती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नौलिया, S/o गणपत मु० भंवरी बेवा गणपत 1/4 हिस्सा के अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व कम्पिलेरव जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 से होती है। जबकि आराजी नं०61 रकबा 2.75 हेक्टेयर श्री शांतिलाल, अन्य बिनोद, मोहन, पन्ना S/o गणपत नेजर साहित देह के नाम दर्ज रेकार्ड हो। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व कम्पिलेरव | |

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए म... |
|---|---|---|
| | जमाबंदी भी नकल सम्वत 2072 से 2075 के दोनों ही<br>गणपत लाल के जरिये शांतिलाल, पन्नालाल<br>ही तथा ग्राम पंचायत लालास द्वारा गणपत s/o<br>ही तथा ग्राम पंचायत लालास द्वारा गणपत S/O<br>मेघा के जरिये काबिज कामली कॉलोनी (बागोर) नं०<br>मोडल जिला भीलवाड़ा के चार पुत्र ही जिनका<br>नाम शांतिलाल, विनोद उर्फ नोलिया, पन्नालाल,<br>मोहनलाल (फोन-बुलाये) ही। नोलिया व विनोद एक<br>ही व्यक्ति ही। किन्तु दो नाम ही तथा दोनों नामों से<br>पुकारा जाता ही। जिसकी तईद प्रस्तुत ग्राम पंचायत<br>द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से होती ही वर्तमान में शांतिलाल, पन्नालाल<br>s/o गणपत बजर निवासी पिपलिया तहसील गंगरार<br>जिला चित्तौड़गढ़ का स्थायी निवासी ही जिसकी तईद<br>भी ग्राम पंचायत लालास द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से<br>होती ही। रेस्पोंडेंट क्र० 1 की ओर से हस्ताली जवाब<br>में स्वीकार किया कि अपीलार्थीगण को गणपत बजर<br>का पुत्र होना स्वीकार कर विवादित आराजियात अपीलार्थी<br>गण के नाम पर भी जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं<br>ही इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों व अपीलार्थीगण की<br>अपील में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर विवादित<br>आराजियात गणपत s/o मेघा के जरिये की ही किन्तु<br>इंतकाल नं. 840 दिनांक 18-9-1989 के द्वारा विरासतन<br>का खाता केवल मात्र रेस्पोंडेंट क्र० 1 के एक पर खोला<br>किया गया। जबकि अपील के बिन्दु क्र० 2 में वर्णित<br>अपीलार्थी क्र० 1 व 3 गणपत के जरिये<br>के जरिये के मद्देनजर विरासतन का केवल रेस्पोंडेंट<br>के पुत्र ही किन्तु खाता अपीलार्थीगण रेस्पोंडेंट<br>क्र० 2 के नाम पर खोलने के कारण<br>क्र० 2 के नाम पर खोलने के कारण<br>क्र० 2 के काय-काम राजस्व रेकार्ड में पुत्र भी ही किन्तु<br>से दर्ज कराना चाहते ही इस हेतु रेस्पोंडेंट क्र० 1 ने<br>स्वयं हस्ताली जवाब प्रस्तुत कर सहमति दी तथा<br>स्वयं भाई होना स्वीकार करते हुए उनका नाम भी | |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई
आपत्ति नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत ललाना के द्वारा
जारी प्रमाण-पत्र में भी अपीलार्थीगण का गाणावत
का पुत्र होना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में वर्तमान
राजस्व रेकार्ड में रेस्पोण्डेन्ट क्र. 1 के नाम दोहरा इन्द्राजात
में अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया
जाता है तो रेस्पोण्डेन्ट क्र. 1 ने सहमति दी है, जिसकी
तस्दीक प्रस्तुत इकबाली जवाब से होती है.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण अपने
द्वारा प्रस्तुत अपील को सिद्ध कराने में सफल रहे हैं
कारण अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाना
उचित समझता हूँ, अतः

:: आदेश ::

अपीलार्थीगण की अपील धारा 75 L.R. Act.
स्वीकार की जाकर विवादित का इन्तकाल नं. 840 दिनांक
18.9.1989 को निरस्त किया जाकर ग्राम बागोर पटवार
हल्का बागोर तहसील ~~माण्डल~~ माण्डल जिला भीलवाड़ा
में स्थित खाता क्र. 292 में स्थित आराजी नं.
4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4752,
4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4764,
4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4812, 4813, 4814,
4815/6754, 4815, 4816, 4821, 4822, 4823, 4824,
4825, 4826, 4827 कुल किता 34 रकबा 30 बीघा 06
बिस्वा आधी रेस्पोण्डेन्ट क्र. 1 के नाम-नाम अपीलार्थीगण
का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का
आदेश दिया जाता है उक्त इन्द्राज अपीलार्थीगण
व रेस्पोण्डेन्ट क्र. 1 के नाम-नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज
की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल
को भिजवाई जाकर लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील इजराई
जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा